क़ीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ–36, अंक – 20 | अक्तूबर 16–31, 2022 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ–4

कृषि का संकट और उसका समाधान

हमारे देश की आबादी के भरण पोषण के लिए कृषि आवश्यक है। यह एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। करोड़ों किसान और खेत मज़दूर अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर हैं। हालांकि, आज हिन्दोस्तान में कृषि न तो आबादी के लिए पर्याप्त पौष्टिक खाद्य पदार्थ सुनिश्चित कर रही है और न ही खाद्य पदार्थों के उत्पादन में लगे लोगों को सुरक्षित आजीविका प्रदान कर रही है। कृषि का संकट पूरे हिन्दोस्तानी समाज को संकट में डाल रहा है।

चौतरफा संकट

मज़दूर वर्ग और अन्य मेहनतकश लोग जिन खाद्य पदार्थों को खुदरा दुकानों से ख़रीदते हैं, हाल के दिनों में खाद्य पदार्थों की क़ीमतों में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है (तालिका–1 देखिये)। इससे खाद्य पदार्थों की खपत के स्तर में गिरावट आई है। दालों, मांस और मछली की क़ीमतों में भारी वृद्धि से हमारे देश में करोड़ों लोगों द्वारा उपभोग की जाने वाली प्रोटीनयुक्त वस्तुओं में कमी आई है, जो कि पहले से ही निम्न स्तर पर है।

खाद्य पदार्थ का उत्पादन करने वालों में किसान और मज़दूर शामिल हैं जो फ़सल उगाने, मछली पकड़ने, पशु पालन करने तथा दूध, अंडे और मांस का उत्पादन करने के काम में लगे हुये हैं। खेती से होने वाली आय में पिछले कई वर्षों से लगातार गिरावट हो रही है, जिसकी वजह से करोड़ों किसान परिवारों को जीवित रहने के लिए मज़दूरी से होने वाली आय पर निर्भर होना पड़ा है (तालिका–2 देखिये)। जबकि यह वास्तविकता केंद्र सरकार के उन दावों के बिल्कुल विपरीत है कि वह कृषि से होने वाली आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है।

केवल सूखा पड़ने, बाढ़ आने या कीड़ों के हमले की स्थिति में ही, कृषि में फ़सल से होने वाली आय में गिरावट नहीं होती, बल्कि किसानों की आय तब भी कम होती जब बंपर फ़सल हुई हो, क्योंकि तब उपज के लिए मिलने वाली क़ीमत उत्पादन में होने वाली लागत की क़ीमत से भी कम हो जाती है। कृषि में लागत की वस्तुओं की क़ीमतों में तेज़ी से वृद्धि होने के कारण उत्पादन की लागत का ख़र्च तेज़ी से बढ़ रहा है। गिरती आय ने अधिकांश किसानों को क़र्ज़ की गहरी खाई में धकेल दिया है।

2018–19 में हिन्दोस्तान के आधे से अधिक कृषक परिवार कर्ज़दार थे, जिनका औसतन बकाया क़र्ज़ 74,121 रुपये था। ये क़र्ज़ उनकी सात महीने की औसत आय से ज्यादा है। 2018–19 में किसानों के क़र्ज़ का औसत स्तर छः साल पहले की तुलना में 57 फीसदी अधिक था। बढ़ता क़र्ज़ साल दर साल हजारों किसानों को आत्महत्या की और धकेल रहा है।

कृषि की पूंजीवादी दिशा

शासक वर्ग ने पिछले 75 वर्षों के दौरान, अर्थव्यवस्था की उस पूंजी केंद्रित दिशा को क़ायम रखा है, जिसे ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने स्थापित किया था। कृषि का विकास पूंजीपतियों के मुनाफ़ों को अधिकतम करने के लक्ष्य से प्रेरित रहा है, न कि सभी को पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की आवश्यकता से, और न ही किसानों की आजीविका सुनिश्चित करने की आवश्यकता से।

1950 और 1960 के दशक में किये गये भूमि सुधारों का लक्ष्य, पूंजीवादी और वाणिज्यिक खेती के लिये परिस्थिति तैयार करना था, जो कि 1965 में विश्व बैंक की तकनीकी और वित्तीय सहायता से की गई हरित क्रांति की शुरुआत के साथ बढ़ना शुरू हुआ था।

सरकार के हाथों में खाद्यान्नों का बफर स्टॉक बनाने के उद्देश्य से हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, ताकि विदेशी खाद्य सहायता पर से हिन्दोस्तान की निर्भरता को समाप्त किया जा सके। हरित क्रांति कार्यक्रम कुछ चुनिंदा सिंचित क्षेत्रों के मध्यम तथा बड़े भूखंडों पर उच्च पैदावार प्राप्त

शेष पृष्ठ 2 पर

तालिका 1 : खाद्य पदार्थों की खुदरा कीमतों में भारी वृद्धि

खाद्य पदार्थ	प्रतिशत वृद्धि
अगस्त 2021 से अगस्त 2022	
सब्जियां	187 प्रतिशत
फल	173 प्रतिशत
मसाले	194 प्रतिशत
मांस और मछली	206 प्रतिशत
तेल और चिकनाई	192 प्रतिशत
जुलाई 2022 से अगस्त 2022	
अरहर दाल	10–20 प्रतिशत
उड़द दाल	25–45 प्रतिशत

तालिका 2 : हिन्दोस्तान में कृषक* परिवारों की औसत मासिक आय

	वेतन	खेती	पशु पालन	अन्य	कुल
सर्व हिन्द 2012–13	2071	3081	762	512	6426
सर्व हिन्द 2018–19	4063	3798	1582	775	10218
ग्रामीण सी.पी.आई. में मुद्रास्फीति : 2012–18	40 प्रतिशत	40 प्रतिशत	40 प्रतिशत	40 प्रतिशत	40 प्रतिशत
आय में वास्तविक वृद्धि	40 प्रतिशत	12 प्रतिशत	48 प्रतिशत	8 प्रतिशत	14 प्रतिशत

*कृषक परिवार – ऐसा परिवार जिसका कम से कम एक सदस्य कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगा हो

स्रोत : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, स्थिति आकलन सर्वेक्षण, 2018–19 और 2012–13

कृषि का संकट और उसके समाधान पर दूसरी मीटिंग

क्रांतिकारी किसान यूनियन, पंजाब के डॉ. दर्शन पाल ने कहा कि "हरित क्रांति, जिसके कारण कृषि में पूंजीवाद का प्रसार हुआ, हमारे देश में कृषि के वर्तमान संकट के लिए ज़िम्मेदार है।" वे 30 सितंबर को मज़दूर एकता कमेटी (एम.ई.सी.) द्वारा आयोजित दूसरी मीटिंग को संबोधित कर रहे थे, जिसका विषय था : कृषि का संकट और समाधान।

अन्य आमंत्रित वक्ताओं में शामिल थे – एम.ई.सी. के सचिव श्री बिरजू नायक, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पॉवर डिप्लोमा इंजीनियर्स के राष्ट्रीय महासचिव श्री अभिमन्यु धनखड़, पीपल फर्स्ट के संयुक्त संयोजक श्री थॉमस फ्रेंको, सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. बी. सेठ और ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर्स यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव श्री ए.वी. कांता राजू।

बैठक में भाग लेने वालों में मज़दूर यूनियनों और किसान यूनियनों के कार्यकर्ता तथा महिला और युवा कार्यकर्ताओं के साथ–साथ ब्रिटेन और कनाडा में हिन्दोस्तानी मज़दूरों के कार्यकर्ता भी शामिल थे।

डॉ. दर्शन पाल ने हरित क्रांति के कारण कृषि में हुई तबाही पर प्रकाश डाला, जो बड़े पैमाने पर पूंजीवादी संबंधों को कृषि में लाई। कृषि के लिये लागत वस्तुओं जैसे कि कीटनाशक दवाइयों और उर्वरकों में पूंजी निवेश बढ़ने से और बढ़ते मशीनीकरण के साथ–साथ व्यापार की शर्तें धीरे–धीरे बड़े कॉरपोरेट्स के पक्ष में होने से किसानों और कृषि में काम करने वाले सभी लोगों के ख़िलाफ़ होती चली गईं। इससे संकट के लक्षण स्पष्ट होने लगे।

कृषि उत्पादन ठप्प हो गया। किसानों का क़र्ज़ बढ़ गया। किसानों ने अपनी ज़मीन को बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि कृषि किसानों को आजीविका प्रदान करने में असमर्थ हो गई, और वे शहरों में मज़दूरों की श्रेणी में शामिल होने लगे। इस स्थिति ने न केवल पंजाब में बल्कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और कई अन्य राज्यों में बहुत से किसानों को आत्महत्या करने के लिये मजबूर किया। डॉ. दर्शन पाल ने सहकारी मॉडल को कृषि के लिए समाधान के रूप में बताते हुए कहा कि मौजूदा व्यवस्था से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह किसानों की स्थितियों में कोई गुणात्मक परिवर्तन लायेगी।

उनकी राय थी कि कृषि संकट की समस्या को हल करने के लिए किसानों के साथ–साथ मज़दूरों और समाज के अन्य सभी तबकों को शामिल करते हुये एक राजनीतिक आंदोलन करने की आवश्यकता है। एस.के.एम. के नेतृत्व में पिछले साल के किसान आंदोलन ने कुछ हद तक इस तरह की राजनीतिक मजबूती हासिल की है, और उन्हें विश्वास है कि यह आगे का रास्ता है। उन्होंने बताया कि क़र्ज़ राहत, फ़सल बीमा, एम.एस.पी., लखीमपुर खीरी के पीड़ितों के लिए न्याय और किसानों की अन्य सभी मांगों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आंदोलन जारी है। उन्होंने घोषणा की कि तीन अक्तूबर को किसान अपनी मांगों के समर्थन में लखीमपुरी खीरी में एकत्रित होंगे। 26 नवंबर को पंजाब में किसान अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि हमें केंद्र सरकार और उसकी किसान–विरोधी, मज़दूर–विरोधी और जन–विरोधी नीतियों को चुनौती देनी होगी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि 2024 में लोकसभा चुनावों तक की अवधि का उपयोग देश की मौजूदा सरकार के विकल्प के लिए सभी राजनीतिक ताक़तों को जुटाने के लिए किया जाना चाहिए।

श्री बिरजू नायक ने अपने संबोधन में बताया कि बड़े हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीवादी घरानों द्वारा कॉर्पोरेट लूट और कृषि पर नियंत्रण को एक क़ानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए तीन किसान–विरोधी क़ानून लाए गए थे। उन्होंने समझाया कि

शेष पृष्ठ 3 पर

अंदर पढ़ें

■ राजनीतिक और सामाजिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाये जाने के विषय पर 3

कृषि का संकट और समाधान

पृष्ठ 1 का शेष

करने के लिए किसानों को प्रेरित करने के लिये थी। इसके लिये रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के एक विशेष मिश्रण से प्रयोगशालाओं में उत्पादित गेहूं और धान के बीज बोने के लिए उपलब्ध कराये गये थे।

हरित क्रांति के परिणामस्वरूप फ़सलों का पैटर्न बहुत असंतुलित हो गया जिसका कृषि पर बहुत ही हानिकारक और दीर्घकालिक परिणाम हुआ (बॉक्स देखिये)।

हरित क्रांति के परिणामस्वरूप कुछ वर्षों के लिए, कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में पूंजीपति किसानों को समृद्धि का अनुभव हुआ। दूसरी ओर, भूमि के छोटे भूखंडों पर मेहनत करने वाले लाखों किसान ग़रीब हो गए और पूंजीवादी कृषि के विकास के परिणामस्वरूप बर्बाद हो गए।

वैश्वीकरण और कृषि व्यापार का उदारीकरण

पिछले 30 वर्षों में कृषि को विश्व बाज़ार के साथ तेज़ी से एकीकृत किया गया है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के नुस्ख़ों के आधार पर आयातों से मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने, आयात शुल्क में कमी करने और खाद्य सब्सिडी में कटौती करने से, फ़सलों के पैटर्न में और भी ख़राबी आई है। इससे किसानों को अपने उत्पादों के लिए मिलने वाली क़ीमतों में अत्यधिक अनिश्चितता आई है।

हिन्दोस्तानी और विदेशी विशालकाय इजारेदार कंपनियों ने बीज, उर्वरक, कीटनाशक, पशुओं के चारे और अन्य कृषि की लागत वस्तुओं की आपूर्ति में नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल कर ली है। इन कंपनियों में शामिल हैं – कारगिल, मोनसेंटो, जुआरी एग्रो (बिड़ला समूह), टाटा केमिकल्स, गोदरेज एग्रोवेट, ब्रिटानिया (वाडिया समूह) और रैलिस इंडिया (टाटा समूह)।

कृषि उत्पादों की ख़रीद में राज्य की घटती भूमिका के साथ–साथ इस क्षेत्र में निजी इजारेदार कंपनियों का भी तेज़ी से विकास हुआ है। ऐसी कंपनियों में वॉलमार्ट और अमेजन शामिल हैं। इनमें टाटा, मुकेश अंबानी समूह, आदित्य बिड़ला और अडानी समूह के स्वामित्व वाली कंपनियां शामिल हैं।

निर्यात करने की दिशा में अनुबंध पर खेती करने से सूरजमुखी, सोयाबीन, खीरा, आदि के उत्पादन में इस्तेमाल की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई है। हिन्दोस्तान के सभी लोगों के लिए पोषक आहार प्रदान करने वाली दालों का उत्पादन आवश्यक मात्रा से काफी कम है।

कृषि व्यापार का उदारीकरण करना इजारेदार कारपोरेट घरानों का एजेंडा है। यह उस कपटपूर्ण सिद्धांत पर आधारित है कि बाज़ार में "मुक्त प्रतिस्पर्धा" की अनुमति देने से, वस्तुओं और सेवाओं के विक्रेताओं और ख़रीदारों, दोनों को लाभ होगा।

राज्य के नियमों से मुक्त बाज़ार 19वीं शताब्दी का विचार है, जब पूंजीवाद अपनी इजारेदारी के चरण में विकसित नहीं हुआ था। उस काल की विशेषता यह थी कि वस्तुओं के बाज़ारों में विक्रेताओं और ख़रीदारों के बीच बड़ी प्रतिस्पर्धा होती थी, जिनमें से प्रत्येक के पास बाज़ार का इतना छोटा हिस्सा होता था कि वह वस्तुओं की क़ीमतों पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता था। 20वीं सदी में अधिकांश वस्तुओं के लिए बाज़ार के बड़े हिस्से को नियंत्रित करने वाली विशालकाय इजारेदार कंपनियों के उदय के साथ, बाज़ारों का चरित्र बदल गया।

वर्तमान में हमारे देश के कृषि उत्पादों के बाज़ार में 10 करोड़ से अधिक किसान हैं जो 2 लाख से कम व्यापारियों को अपने उत्पाद बेचते हैं। जैसे–जैसे विशालकाय पूंजीपति कार्पोरेट बाज़ार में अपने हिस्से का विस्तार कर रहे हैं, वैसे–वैसे कृषि बाज़ारों में ख़रीदारों और विक्रेताओं के बीच के संबंध अधिकाधिक असमान होते जा रहे हैं। रिलायंस रिटेल, आदित्य बिड़ला रिटेल, टाटा की स्टार इंडिया, अडानी विल्मर, बिग बाज़ार और डी–मार्ट, आदि ज्यादातर छोटे व्यापारियों को कारोबार से बाहर करने ही वाली हैं।

विक्रेताओं और ख़रीदारों दोनों को लाभ पहुंचाने के बजाय, उदारीकरण से केवल इजारेदार पूंजीपतियों की कंपनियों को ही फ़ायदा होता है जो खाद्य आपूर्ति के नियंत्रण को अपने हाथों में लेने ही वाले हैं। एक बार जब वे नियंत्रण करने लायक हिस्सा हासिल कर लेंगे, तब किसानों को दी जाने वाली क़ीमतों को मनमर्जी से थोप सकेंगे और साथ ही साथ, कृषि उत्पादों की जमाखोरी करके और उन्हें ऊंची खुदरा क़ीमतों पर बेचने में सक्षम हो जायेंगे।

संक्षेप में, पिछले 75 वर्षों के जीवन का अनुभव दिखाता है कि आर्थिक विकास का पूंजीवादी रास्ता न तो खाद्य सुरक्षा की गारंटी दे सकता है और न ही खाद्य उत्पादकों को सुरक्षित आजीविका की गारंटी दे सकता है। इजारेदार घरानों के नेतृत्व और वर्चस्व वाला पूंजीवादी विकास हिन्दोस्तानी कृषि के संकट का मूल कारण है।

आज हिन्दोस्तान में कृषि न तो आबादी के लिए पर्याप्त पौष्टिक खाद्य पदार्थ सुनिश्चित कर रही है और न ही खाद्य पदार्थों के उत्पादन में लगे लोगों को सुरक्षित आजीविका प्रदान कर रही है। कृषि का संकट पूरे हिन्दोस्तानी समाज को संकट में डाल रहा है।

संकट के समाधान के लिए पूरी अर्थव्यवस्था के एक अनिवार्य भाग के रूप में कृषि अर्थव्यवस्था की दिशा को पूरी तरह से बदलना होगा। कृषि को पूंजीपतियों के मुनाफ़ों को अधिकतम करने के लक्ष्य से प्रेरित होने की जगह पर कृषि को आबादी के लिए एक स्वास्थ्यपरक संतुलित आहार सुनिश्चित करने तथा किसानों और खेत मज़दूरों के लिए सुरक्षित आजीविका और समृद्धि सुनिश्चित करने की दिशा में मोड़ना होगा।

संकट का समाधान

संकट के समाधान के लिए पूरी अर्थव्यवस्था के एक अनिवार्य भाग के रूप में कृषि अर्थव्यवस्था की दिशा को पूरी तरह से बदलना होगा। कृषि को पूंजीपतियों के मुनाफ़ों को अधिकतम करने के लक्ष्य से प्रेरित होने की जगह पर कृषि को आबादी के लिए एक स्वास्थ्यपरक संतुलित आहार सुनिश्चित करने तथा किसानों और खेत मज़दूरों के लिए सुरक्षित आजीविका और समृद्धि सुनिश्चित करने की दिशा में मोड़ना होगा।

खाद्य पदार्थों का उत्पादन, भंडारण और वितरण "बाज़ार की ताक़तों" पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि इसका मतलब होता है कि इजारेदार पूंजीपतियों के अधिकतम मुनाफ़ों की लालच को पूरा करने की दिशा में अर्थव्यवस्था को चलाना। खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण और वितरण को एक विस्तृत योजना के अनुसार, सामाजिक नियंत्रण में लाना होगा।

केंद्र और राज्य सरकारों सहित हिन्दोस्तानी राज्य को सभी खाद्य और गैर–खाद्य फ़सलों को शामिल करते हुए, एक सार्वजनिक ख़रीद प्रणाली बनाने की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। किसानों को कृषि की लागत वस्तुएं वास्तविक मूल्यों पर, विश्वसनीय आपूर्ति की गारंटी दी जानी चाहिए न कि इजारेदारी क़ीमतों पर। कृषि की लागत वस्तुओं के क्षेत्र की निजी इजारेदार कंपनियों की संपत्ति को ज़ब्त करके उन्हें राज्य के नियंत्रण में लाने की आवश्यकता है।

सार्वजनिक एजेंसियों को कृषि उत्पादों के बड़े हिस्से को पूर्व–घोषित लाभकारी क़ीमतों पर ख़रीदना चाहिए। यह निजी व्यापारियों द्वारा किसानों को लूटने से रोकने के लिए यह बेहद आवश्यक है।

सार्वजनिक ख़रीद प्रणाली को एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोड़ा जाना चाहिए, जो सभी के लिए सस्ती क़ीमतों पर, उपभोग के लिये आवश्यक सभी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

कृषि के संकट के समाधान में मुख्य बाधा इजारेदार पूंजीपतियों द्वारा खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश से आती है। इस संकट का समाधान तब तक नहीं होगा जब तक इजारेदार पूंजीपति राज्य की मशीनरी को नियंत्रित करते रहेंगे और सरकार बनाने के लिए अपनी एक नहीं तो दूसरी विश्वसनीय पार्टी को सत्ता में लाने के लिये चुनावों का इस्तेमाल करते रहेंगे।

अपनी तात्कालिक मांगों के लिए संघर्ष करते हुए, मज़दूरों और किसानों को कृषि और पूरे हिन्दोस्तानी समाज के संकट को हल करने के कार्यक्रम के इर्द–गिर्द एकता बनानी होगी। उन्हें हिन्दोस्तान का भविष्य तय करने में सक्षम एक राजनीतिक ताक़त बनना होगा। मज़दूरों और किसानों के राज को स्थापित करने से कृषि और पूरे समाज को संकट से उबारने का रास्ता खुल जायेगा।

http://hindi.cgpi.org/22644

बॉक्स : पंजाब की बेढंगी फ़सल प्रणाली

कौन ज़िम्मेदार है और क्या किया जाना है?

30 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर धान की खेती से पंजाब के बड़े हिस्से में भूजल के स्तर में गिरावट का संकट पैदा हो गया है। यह भी सच है कि रासायनिक उर्वरकों के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके, साल–दर–साल एक ही फ़सल की खेती करने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में गिरावट आई है।

पंजाब के किसान इन समस्याओं के बारे में जानते हैं। परन्तु वर्तमान बेढंगे फ़सल पैटर्न को अपनाने के लिए वे ज़िम्मेदार नहीं हैं। केंद्र सरकार ने 50 साल पहले पंजाब को हरित क्रांति के लिये एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में चुना था। केंद्र सरकार ने गेहूं और धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों को रोपने को बढ़ावा दिया, और इस उपज को लाभदायक क़ीमतों पर सार्वजनिक ख़रीद की गारंटी दी।

कृषि विज्ञानियों का कहना है कि धान की खेती करने से हटकर कम पानी की ज़रूरत वाली फ़सलों जैसे कि मक्का, कपास और कुछ प्रकार के फलों की खेती करने से कृषि और पंजाब के किसानों के लिये दीर्घकालीन तौर पर हितकर होगा। फ़सल पैटर्न में इस तरह के बदलाव को हासिल करने के लिए एक आवश्यक शर्त है कि उन सभी वांछित फ़सलों को सुनिश्चित लाभकारी क़ीमतों पर सार्वजनिक ख़रीद की व्यवस्था करनी होगी।

मज़दूर एकता लहर का वार्षिक शुल्क और अन्य प्रकाशनों का भुगतान आप बैंक खाते और पेटीएम में भेज सकते हैं

आप वार्षिक ग्राहकी शुल्क (150 रुपये) सीधे हमारे बैंक खाते में या पेटीएम क्यूआर कोड स्केन करके भेजें और भेजने की सूचना नीचे दिये फोन या वाट्सएप पर अवश्य दें।

खाता नाम–लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, कालका जी
खाता संख्या–20066800626, **ब्रांच नं.**–00974
IFSCode: MAHB0000974, मो.–9810167911
वाट्सएप और पेटीएम नं.-9868811998
email: mazdoorektalehar@gmail.com

एक निवेदन

पाठकों से निवेदन है कि मज़दूर, किसान, महिला, नौजवान तथा समाज के हर मेहनतकश श्रेणी की जिंदगी और संघर्ष के बारे में लेख लिखकर भेजें। इससे देश के नव-निर्माण के लिये मज़दूर-मेहनतकशों की राजनीतिक एकता तथा संघर्ष मजबूत होगा।

राजनीतिक और सामाजिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाये जाने के विषय पर

27 सितंबर, 2022 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पी.एफ.आई.) और उससे सम्बंधित आठ अन्य संगठनों को यू.ए.पी.ए. के तहत अवैध घोषित कर दिया। इस घोषणा ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या राजनीतिक और सामाजिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाने से हिन्दोस्तानी समाज को कोई फ़ायदा हुआ है।

75 साल पहले, हिन्दोस्तान को ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन से स्वतंत्रता मिलने के तुरंत बाद, नेहरू सरकार ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सी.पी.आई.) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर.एस.एस.) पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस समय से, तरह–तरह के औचित्य देते हुए, इस या उस राजनीतिक या सामाजिक संगठन पर प्रतिबंध लगाना सरकारों का नियमित अभ्यास बन गया है। मिसाल के तौर पर, 1975–1977 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, कई विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उन संगठनों के हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया था।

पिछले 75 वर्षों के अनुभव से स्पष्ट है कि इस या उस राजनीतिक या सामाजिक संगठन पर प्रतिबंध लगाने से समाज को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। न ही लोगों को उनके राजनीतिक विचारों या कार्यों के लिए जेल में डालने से कोई फ़ायदा हुआ है। लोगों को समाज के बारे में अपना–अपना नज़रिया रखने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। राजनीति में बदले की भावना की कोई जगह नहीं होनी चाहिए।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का मानना है कि राजनीतिक मतभेदों का राजनीतिक समाधान ज़रूरी है। उन्हें पुलिस के बलप्रयोग से निपटाए जाने वाली, क़ानून और व्यवस्था की समस्याओं के रूप में नहीं उठाया जाना चाहिए।

http://hindi.cgpi.org/22661

कृषि का संकट और उसके समाधान पर दूसरी मीटिंग

पृष्ठ 1 का शेष

भले ही क़ानूनों को वापस ले लिया गया हो, लेकिन यह नियंत्रण सभी क्षेत्रों पर कड़ा हो रहा है, जिसमें कृषि, कृषि उत्पादों के भंडारण और परिवहन के साथ–साथ ख़रीद और किसानों को उनकी उपज के लिए मूल्य शामिल हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के लहसुन उत्पादकों, हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों, हरियाणा के चावल उत्पादकों सहित अन्य क्षेत्रों के किसानों के उदाहरण दिये, जिन्हें बड़े कॉरपोरेट घरानों द्वारा बेशर्मी से लूटा जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभाव में इजारेदार पूंजीपति खाद्य वस्तुओं और बाज़ार में हर आवश्यक वस्तुओं की क़ीमतों को नियंत्रित करते हैं। उन्होंने कहा कि देश में पर्याप्त मात्रा में खाद्य वस्तुओं का उत्पादन होता है, जो सभी लोगों की भोजन की आवश्यकता से अधिक है, फिर भी लाखों लोग भूखे रह जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बहुत से लोग भुखमरी या कुपोषण से मर जाते हैं।

बिरजू नायक ने ज़ोर देकर कहा कि यह सिर्फ वर्तमान की भाजपा सरकार ही नहीं है जो बड़े पूंजीवादी घरानों के हित में काम करती है। सरकार बनाने वाली हर पार्टी इनके हितों की रक्षा करती है। हमें एक ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत है जो आबादी के विशाल बहुमत को लाभ पहुंचाने के लिए काम करे। इसके लिए, उन्होंने प्रस्ताव दिया कि किसानों को राज्य द्वारा रियायती दरों पर कृषि के लिये आवश्यक लागत सामग्रियां प्रदान करनी चाहिए, सभी कृषि उत्पादों की लाभकारी क़ीमतों पर ख़रीद सुनिश्चित करनी चाहिए और एक सर्वव्यापक सार्वजनिक वितरण व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए जो सभी खाद्यान्नों और आवश्यक सामान सस्ती क़ीमतों पर उपलब्ध कराए।

श्री अभिमन्यु धनखड़ ने इस बात को विस्तार से बताया कि कृषि संकट के समाधान के साथ ही साथ आज समाज में ग़रीबी, बेरोज़गारी और अन्य सभी समस्याओं का समाधान भी होगा। उद्योग और कृषि को एक साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि हमारी 70 प्रतिशत आबादी कृषि में कार्यरत है और जब तक कृषि, इस विशाल वर्ग को सुनिश्चित आजीविका प्रदान नहीं कर सकती, तब तक संकट बना रहेगा। उन्होंने कृषि के साथ–साथ उद्योग पर बड़े इजारेदार कॉर्पोरेट के वर्चस्व की वर्तमान प्रवृत्ति की निंदा की। श्री धनखड़ ने कृषि के लिए राजकीय सहायता की पुरजोर वकालत की, पर्याप्त सिंचाई का पानी, बिजली आपूर्ति और अन्य लागत वस्तुएं प्रदान करने के लिए, लाभकारी क़ीमतों पर सभी फ़सलों की सुनिश्चित सार्वजनिक ख़रीद के साथ–साथ लोगों की भोजन और सभी आवश्यक वस्तुओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये सब्सिडी दी जाये। उन्होंने बिजली संशोधन विधेयक के ख़िलाफ़ बिजली क्षेत्र के मज़दूरों द्वारा किये जा रहे संघर्ष पर प्रकाश डाला और कहा कि बिजली संशोधन विधेयक किसानों को बर्बाद कर देगा। उन्होंने कॉर्पोरेट लूट के ख़िलाफ़ मज़दूरों और किसानों को एकजुट संघर्ष करने के लिये एक ज़ोरदार आह्वान किया।

श्री थॉमस फ्रेंको, जो निजीकरण के ख़िलाफ़ बैंक कर्मचारियों के संघर्ष में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं, उन्होंने बताया कि कैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अतीत में कृषि और किसानों की सहायता करने में भूमिका निभाई है। इस भूमिका को अब बहुत अधिक विकृत किया जा रहा है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर छोटे और सीमांत किसानों को दिये जाने वाले ऋण को कम करने का दबाव बढ़ रहा है, जबकि इन किसानों को ऋणों की सबसे अधिक आवश्यकता है। अडानी जैसे इजारेदार पूंजीपति भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान बना रहे हैं जो किसानों को बहुत अधिक ब्याज दर पर क़र्ज़ प्रदान करेंगे। छोटे और सीमांत किसानों के सभी मौजूदा क़र्ज़ों को तत्काल माफ़ किये जाने की मांग करते हुए, फ्रैंको ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा विभिन्न बैंकों का क़र्ज़ा न चुकाने वाले पूंजीपतियों के लाखों करोड़ रुपये के क़र्ज़ को न चुकाये गये क़र्ज़ (एन.पी.ए.) के रूप में माफ़ किया जा रहा है।

फ्रेंको ने कहा कि कृषि संकट का समाधान, किसानों के लिए एक सार्वजनिक क़र्ज़ गारंटी योजना, कृषि के सभी पहलुओं पर निजी कंपनियों के वर्चस्व को समाप्त करने और राज्य द्वारा शुरू किए जाने वाले एक एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में निहित है, जिसमें पशुपालन और मछली पकड़ने सहित कृषि से जुड़े सभी लोगों की भलाई सुनिश्चित की जा सके।

डॉ. बी. सेठ ने बताया कि हमारे देश में खाद्यान्न का कुल वार्षिक उत्पादन लगभग 27.5 करोड़ टन है। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन 500 ग्राम से अधिक है – जो औसत पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; लेकिन लाखों लोग अभी भी कुपोषण और भूख से मरते हैं। उन्होंने कहा कि संकट का स्रोत इस तथ्य में निहित है कि मौजूदा व्यवस्था समाज के सबसे धनी वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए ही काम करती है। सबसे धनी 10 प्रतिशत आबादी के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 77 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है; हिन्दोस्तान के 100 शीर्ष अरबपतियों ने अकेले एक वर्ष में, जबसे कोविड–19 महामारी शुरू हुई, अपनी संपत्ति में 12,97,822 करोड़ रुपये की वृद्धि की है।

समाज की दौलत बनाने वाली 90 प्रतिशत आबादी अपने श्रम के फल से वंचित रह जाती है। उन्होंने कहा कि उच्चतम स्तर की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, लेकिन इसमें से किसी को भी कृषि को आगे बढ़ाने या लोगों के रहने और काम करने की स्थिति में सुधार करने के लिए नहीं लगाया जाता है। डा. सेठ ने किसानों के लिए लाभकारी मूल्य और कृषि की लागत वस्तुओं का रियायती मूल्य सुनिश्चित करने के लिए थोक व्यापार पर राज्य के नियंत्रण के साथ–साथ, एक सर्वव्यापक सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थापित करने का आह्वान किया ताकि सस्ती क़ीमतों पर उपभोग की सभी वस्तुओं की उपलब्धता बड़े पैमाने पर सुनिश्चित हो सके।

श्री कांता राजू ने भारतीय रेल की पटरियों की देखभाल करने वालों के काम की अत्यंत कठिन और ख़तरनाक परिस्थितियों के ख़िलाफ़ चलाये जा रहे अपने संघर्ष के बारे में बताया। उच्च स्तर की तकनीक उपलब्ध होने के बावजूद, अधिकारियों और सरकार की घोर लापरवाही के कारण हर साल सैकड़ों ट्रैकमैन मारे जाते हैं।

कांता राजू ने कहा कि मज़दूर और किसान आज संघर्ष के एक सांझे मंच पर हैं जो बड़े इजारेदार कॉरपोरेट्स के ख़िलाफ़ है, जो मेहनतकश लोगों को लूटने और उनके मुनाफ़े को बढ़ाने के लिए कृषि के साथ–साथ विनिर्माण और औद्योगिक उत्पादन के अन्य क्षेत्रों पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने किसानों और मज़दूरों को एक साथ लाने की इस पहल के लिए मज़दूर एकता कमेटी की सराहना की। उन्होंने अपने संगठन, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर्स यूनियन की हमारे समाज के सामने मौजूद संकट को समाप्त करने के संघर्ष में पूर्ण भागीदारी का वादा किया।

आमंत्रित वक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों के बाद, कई अन्य सहभागियों ने अपने विचारों को पेश किया।

"एक किसान परिवार 5,000 रुपये प्रति माह से कम की आय पर कैसे जीवित रह सकता है?" एक युवा कार्यकर्ता ने पूछा। आज हिन्दोस्तान दुनिया के सबसे उन्नत देशों में से एक है और हम बहुत अधिक खाद्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं और हमारे पास आधुनिक तकनीक है। लेकिन सबसे बड़े इजारेदार पूंजीवादी घरानों के नेतृत्व में शासक पूंजीपति वर्ग पूरी उत्पादन प्रक्रिया पर हावी है। नतीजतन, उनकी संपत्ति बढ़ती रहती है जबकि मज़दूरों और किसानों की स्थिति ख़राब होती जाती है, उन्होंने कहा।

सहभागियों ने डेयरी किसानों की चिंताओं को उठाया। कई सहभागियों ने किसान आंदोलन के सामने आने वाली चुनौतियों और कृषि के सामने आने वाले संकट को हल करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस पर अपने विचार रखे। कई लोगों ने यह विचार व्यक्त किया कि मज़दूरों और किसानों को राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में लेने के लिए संगठित होना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कृषि का संकट विशाल आबादी के हितों में हल हो।

बैठक का समापन करते हुए, श्री संतोष कुमार ने किसान आंदोलन द्वारा, हमें सिखाए गए महत्वपूर्ण सबकों को याद किया। एक सबक यह है कि हम अपनी एकता को बनाए रखें और मजबूत करें तथा पूंजीवादी शोषण की इस व्यवस्था को समाप्त करने के अपने संकल्प पर डटे रहें, पूंजीवादी शोषण की यह व्यवस्था ही मज़दूरों और किसानों की समस्याओं का स्रोत है। हम मज़दूरों और किसानों को राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में लेने के लिए एकजुट होना चाहिए और एक नए समाज की स्थापना करनी चाहिए। जिसमें हम शासक होंगे और निर्णय लेने वाले होंगे तथा हम सभी मेहनतकशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था को फिर से तैयार करेंगे।

http://hindi.cgpi.org/22651

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का हिन्दी पाक्षिक अख़बार

मज़दूर एकता लहर

वार्षिक शुल्क 150 रुपये, कृपया मनीआर्डर निम्न पते पर भेजिये :
श्री मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी, ओखला फेस–2, नई दिल्ली–110020

मज़दूर एकता लहर को मनीआर्डर से पैसा भेजने वाले सभी पाठकों से अनुरोध है कि पैसा भेजने के बाद हमें, इस नम्बर 09810167911] 9868811998 पर फोन करके सूचित करें तथा वॉट्सएप्प करें। ई-मनीआर्डर भेजते समय फार्म में अपना पता पूरा और साफ-साफ भरें।

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23

LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT U (SE)-38/2022-23

Posting Date at DLPSO, 16 & 17 Oct, 2022 Date of publish - 16 Oct, 2022

To

.....

.....

.....

.....

.....

.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक– मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :

ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp 9868811998

लेस्टर में हुई सांप्रदायिक हिंसा की निंदा करें!

सांप्रदायिक और नस्लीय हिंसा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश राज्य ज़िम्मेदार है!

सितंबर 2022 की शुरुआत में ब्रिटेन के लेस्टर शहर में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुईं। इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन–ग्रेट ब्रिटेन और ग़दर इंटरनेशनल ने एक बयान जारी करके ब्रिटिश राज्य द्वारा सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दिये जाने की निंदा की है और दक्षिण एशियाई समुदाय के लोगों से अपने बीच एकता को बनाए रखने और मजबूत करने की अपील की है। हम उस बयान के कुछ अंश नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं :

सितंबर में हिन्दोस्तान और पाकिस्तान के बीच, दुबई में हुये एक क्रिकेट मैच के बाद, लेस्टर शहर में रहने वाले दक्षिण एशिया के लोगों को सांप्रदायिक हिंसा का सामना करना पड़ा। ब्रिटेन की मुख्यधारा की मीडिया ने इस हिंसा को हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में सांप्रदायिक टकराव के रूप में पेश करना शुरू कर दिया।

ब्रिटिश मज़दूर वर्ग के साथ–साथ, दक्षिण एशियाई समुदाय के लोग ब्रिटिश राज्य और हिन्दोस्तानी राज्य की इस रणनीति से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं कि शोषक पूंजीवादी व्यवस्था के ख़िलाफ़ लोगों के सामूहिक संघर्षों को कमजोर करने और लोगों को बांटने के लिए, ब्रिटिश राज्य और हिन्दोस्तानी राज्य सांप्रदायिक हिंसा आयोजित करते हैं।

लेस्टर में हुये सांप्रदायिक टकराव को ब्रिटिश पूंजीवाद के आर्थिक संकट और सभी पूंजीवादी देशों को प्रभावित करने वाले वैश्विक आर्थिक संकट की हालतों के सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए। नस्लवाद का इस्तेमाल करके मेहनतकश लोगों को बांटना और उनके बीच सांप्रदायिक हिंसा आयोजित करना, यह एक सदियों पुरानी नीति है। साम्राज्यवादी शक्तियों और पूंजीवादी राज्यों द्वारा इस नीति का इस्तेमाल सदियों से किया जाता रहा है, खासकर गंभीर आर्थिक संकट के दौरान। इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए, अति–दक्षिणपंथी संगठनों को बढ़ावा दिया जाता है।

ब्रिटेन में सत्तर के दशक दौरान ब्रिटिश राज्य द्वारा नस्लवादी, फासीवादी नेशनल फ्रंट को बढ़ावा दिया गया था ताकि अपनी आजीविका पर हो रहे हमलों के ख़िलाफ़ और ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के मज़दूर–विरोधी क़ानूनों के ख़िलाफ़ लड़ने वाले ब्रिटिश मज़दूरों के बीच विभाजन पैदा किया जा सके और उन क़ानूनों के ख़िलाफ़ चल रहे लोगों के विरोध को कमजोर किया जा सके। उस दौरान हुई नस्लीय हिंसा और हत्याओं के दौरान, दक्षिण एशिया के लोग और अन्य प्रवासी समुदाय के लोग भी नस्लीय दुर्व्यवहार का शिकार हुए। इसके ख़िलाफ़ दक्षिण एशियाई और ब्रिटेन के सभी मेहनतकश लोगों ने मिलकर अपनी एकता बनाई और मजबूत की तथा ब्रिटेन के नेशनल फ्रंट को हरा दिया।

इससे पहले ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के बीच सांप्रदायिक हिंसा आयोजित की थी, जिसके परिणामस्वरूप दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप के लाखों बेकसूर लोगों की मौत हो गई थी और उपमहाद्वीप का विभाजन हुआ था। यह सब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और दुनिया में ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों की रक्षा में किया गया था। उस समय यह बहुत स्पष्ट हो गया था कि ब्रिटेन अब हिन्दोस्तानी लोगों पर अपना घृणित शासन जारी रखने की स्थिति में नहीं है।

1980 के दौरान, इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के साथ मिलकर, हिंदुओं और सिखों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दिया और इसका इस्तेमाल सिख समुदाय पर हमला करने के बहाने के रूप में किया। पंजाब के लोगों द्वारा अपने अधिकारों की हिफ़ाज़त में किये जा रहे संघर्षों को कुचलने के लिए, इस सांप्रदायिक हिंसा का इस्तेमाल किया गया था।

1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, सिखों का जनसंहार और 2002 में गुजरात में मुसलमानों के ख़िलाफ़ आयोजित किया गया जनसंहार – इन दोनों जनसंहारों – को सांप्रदायिक हिन्दोस्तानी राज्य द्वारा लोगों के संघर्षों को खून में डुबाने के लिए आयोजित किया गया था। हिन्दोस्तान में टाटा, अंबानी, बिरला, अडानी और अन्य बड़े इजारेदार पूंजीपतियों के नेतृत्व वाले पूंजीपति वर्ग के शासन को बनाए रखने के लिए, सांप्रदायिकता और क्रूर राजकीय आतंकवाद का इस्तेमाल किया गया है।

19 सितंबर को भारतीय उच्चायोग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, हिन्दू समुदाय और उनके मंदिरों पर हमलों की निंदा की गई है। यह हक़ीक़त, राज्य के पूरी तरह से सांप्रदायिक चरित्र को उजागर कर रही है। जानबूझकर केवल हिंदुओं को ही इस हिंसा के शिकार के रूप में चित्रित करके, इस सांप्रदायिक तनाव को और बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें मुसलमानों को निशाना बनाने वाले सांप्रदायिक संगठनों द्वारा आयोजित उकसावे का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसे संगठन, लेस्टर और ब्रिटेन के अन्य शहरों में मुस्लिम समुदाय के ख़िलाफ़ सक्रिय रूप से नफ़रत फैला रहे हैं। ब्रिटिश राज्य, ब्रिटेन में मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देता रहा है। ब्रिटेन में दक्षिण एशिया के लोगों के बीच सांप्रदायिक टकराव को बढ़ावा देने में हिन्दोस्तानी राज्य और ब्रिटिश राज्य की मिलीभगत है।

हम ब्रिटेन में दक्षिण एशिया के लोगों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के लिए पुलिस या ब्रिटिश राज्य की किसी अन्य संस्था पर भरोसा नहीं कर सकते। लेस्टर में ही नहीं बल्कि पूरे ब्रिटेन में, दक्षिण एशिया के लोगों की एक साथ शांतिपूर्वक मिलजुल कर रहने की और सांप्रदायिक तथा नस्लवादी ताक़तों के हमलों के ख़िलाफ़, एक दूसरे की रक्षा करने की गौरवपूर्ण परंपरा है। दक्षिण एशियाई समुदाय के प्रगतिशील तबकों ने सांप्रदायिक हिंसा की निंदा करते हुए, कई बयान दिए हैं और उन्हें बांटने के प्रयासों के ख़िलाफ़ अपनी एकता को मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने "एक की चोट सभी को चोट है" के नारे को बरकरार रखा है।

पूंजीवादी व्यवस्था, एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट और भीषण मंदी की शुरुआत जैसे हालातों का सामना कर रही है। मुद्रास्फीति बढ़ रही है, ऊर्जा की क़ीमतें बढ़ रही हैं, जीवन–यापन की लागत बढ़ रही है। यह पूंजीवादी संकट अलग–अलग तबकों के मेहनतकश लोगों के एकजुट संघर्षों को तेज़ कर रहा है और इजारेदार पूंजीपति वर्ग को इस संकट का बोझ मेहनतकश लोगों के कंधों पर डालने की अनुमति देने से इनकार कर रहा है।

नस्लवाद तथा अन्यायपूर्ण युद्धों और दक्षिण एशिया में शांति के लिए किये जा रहे संघर्ष में हम सब एक साथ खड़े हैं। हम सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण और सार्वजनिक संपत्ति की लूट की नीतियों का विरोध करते हैं तथा मुद्रास्फीति और जीवन–यापन की बढ़ती लागत के ख़िलाफ़ संघर्ष को क़ायम रखते हैं। हम पूंजीवादी संकट का बोझ आम लोगों के ऊपर थोपने और लोगों से उसकी लागत वसूल करने की सभी कोशिशों को नाकाम करेंगे। अपने सांझे संघर्षों के ज़रिए, हम एक ऐसे नए समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं, जो समाज बहुसंख्यकों की आजीविका, जीवन की गुणवत्ता और सांस्कृतिक मानकों को लगातार ऊपर उठायेगा।

दक्षिण एशियाई समुदाय के लोगों और ब्रिटिश मज़दूरों के सभी वर्गों की एकता ज़िंदाबाद!

इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन

ग़दर इंटरनेशनल

http://hindi.cgpi.org/22648

पाठकों की प्रतिक्रिया

राडिया टेप्स से पूंजीवाद का पर्दाफ़ाश हुआ

संपादक महोदय,

मैंने आपके अख़बार मज़दूर एकता लहर में प्रकाशित लेख – "राडिया टेप्स से किस बात का पर्दाफ़ाश हुआ" को पढ़ा।

समाज में ऐसा प्रचार किया जाता है कि मौजूदा हिन्दोस्तानी लोकतंत्र में लोग चुनावी प्रक्रिया के द्वारा अपने हितों के लिए सरकारें चुनते हैं और सरकारें लोगों के हितों और राष्ट्र–हित में फ़ैसले लेती हैं।

लेकिन राडिया टेप्स से स्पष्ट होता है कि लोगों के हितों से सत्ताधरियों का मतलब सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के हितों की सुरक्षा करना है। उनके इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूंजीपति वर्ग राजनीति पार्टियों को चुनावी खेल के लिए करोड़ों–करोड़ों का धन देता है। इसी धन–बल के इस्तेमाल से अपनी मनपसंद पार्टी को सत्ता में लाने का काम करते हैं। अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए किस व्यक्ति को किस मंत्रालय में या कौन सा मंत्री पद मिलेगा, इसका भी फ़ैसला वही करते हैं।

इसलिए पूंजीपतियों के समर्थन से आई सरकार और मंत्री, इनके हितों के लिए विभिन्न प्रोजेक्ट उनके झोले में डालते हैं और कई जन–विरोधी क़ानूनों को राष्ट्र–हित में बताकर पास करते हैं। जिसका हालिया उदाहरण है तीन कृषि क़ानून और चार लेबर कोड। इन्हीं पूंजीपतियों के अति मुनाफ़े के लिए श्रमिकों के खून–पसीने से बनी सार्वजनिक संपत्ति और संस्थानों को निजीकरण के कार्यक्रम के ज़रिए कौड़ियों के दाम पर बेचा जा रहा है।

आज यह स्पष्ट है कि मौजूदा व्यवस्था सिर्फ पूंजीपति वर्ग के हितों में ही काम करती है। इसीलिए तो सी.बी.आई. को राडिया टेप्स में कुछ भी ग़लत नहीं दिखा। जबकि निजी हितों के लिए सार्वजनिक पद के साथ हस्तक्षेप करना या उसका दुरपायोग करना, भ्रष्टाचार और क़ानूनी अपराध है।

राडिया टेप्स से एक बात और स्पष्ट है कि वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में आम जनता को सत्ता से बाहर रखा जाता है। जनता के पास सिर्फ चुनाव में वोट डालने के अलावा और कोई अधिकार नहीं है। उन्हें अपनी रोज़ी–रोटी और सुरक्षा के लिए क़ानून का प्रस्ताव करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें अपने द्वारा तथाकथित चुने प्रतिनिधि, जो उनके अनुसार काम नहीं करता है, उसे जवाबदेह ठहराने और वापस बुलाने का कोई अधिकार नहीं है।

इसलिए आज हमें समझना होगा कि अपने भविष्य को बचाने के लिए इस पूंजीवादी व्यवस्था को बदलने के अलावा देश के श्रमिकों और किसानों के पास अब कोई और रास्ता नहीं है। हमें ऐसे समाज के निर्माण की तरफ बढ़ना होगा, जहां आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक फ़ैसले लेने कि संपूर्ण ताक़त देश की दौलत पैदा करने वाले मज़दूरों–किसानों के हाथों में हो।

आपका पाठक,

प्रवेश

नई दिल्ली